न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 03/2020

अनवान : –

1. इन्द्रपाल पुत्र निहालसिंह जाति मेघवाल निवासी गढडा त0 भादरा।

:–अपीलार्थी

बनाम्

1. सकीला पत्नी सुभाष जाति मेघवाल निवासी गढडा त0 भादरा।
2. पिंकी पुत्री सुभाष जाति मेघवाल निवासी गढडा त0 भादरा।
3. पूजा पुत्री सुभाष जाति मेघवाल निवासी गढडा त0 भादरा।
4. कृष्णा पुत्री ठाकर जाति मेघवाल निवासी गढडा त0 भादरा।
5. ग्राम पंचायत गढडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गढडा त0 भादरा।

:–असल रेस्पोंडेन्टस

6. चम्पा पत्नी निहालसिंह जाति मेघवाल निवासी गढडा त0 भादरा।
7. सुमन पुत्री निहालसिंह जाति मेघवाल निवासी गढडा त0 भादरा।
8. परसाराम पुत्र निहालसिंह जाति मेघवाल निवासी गढडा त0 भादरा।

:–तरतीबी रेस्पोंडेन्टस

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 75 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री धर्मपाल बेरवाल प्रार्थी
श्री मुंशीराम गोस्वामी अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

निर्णय

दिनांकः 19/3/25

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि कुम्भा वल्द मघा के नाम गांव गढडा की रोही में खाता सं0 29 के खसरा सं0 92 की 17 बीघा 4 बिस्वा भूमि भूमि धापा बेवा कुम्भा 1/3 हिस्सा, निहाल वल्द कुम्भा 1/3 हिस्सा, सुभाष वल्द ठाकर, कृष्णा पुत्री ठाकर 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई व धापा की मृत्यु के पश्चात निहालसिंह वल्द कुम्भा 1/2 हिस्सा, सुभाष वल्द ठाकर, कृष्णा पुत्री ठाकर बहिस्सा 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई व जमाबंदी में जोतों सं0 98 के खसरा सं0 60, 84, 85 कुल 65 बिघा 1 बीस्वा भूमि में भानीराम उर्फ हनुमान, शिशपाल पि0 सुण्डा बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा, व निहालसिंह वल्द कुम्भा, सुभाष वल्द ठाकर, कृष्णा पुत्री ठाकर बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त इन्तकाल दर्ज करते समय कुम्भा के वारिस निहालसिंह का 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था व ठाकर पुत्र कुम्भा के वारिसान सुभाष [illegible] कृष्णा का 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर दर्ज होना चाहिए था जबकि इन्तकाल दर्ज करते समय उक्त हिस्सा [illegible] तौर पर कुम्भा के वारिस निहालसिंह व ठाकर के वारिसान सुभाष व कृष्णा को [illegible] बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। उक्त भूमि [illegible] 1/4 दर्ज करते समय स[illegible] जमाबंदी में जोतों की खाता संख्या 98 के खसरा सं0 [illegible] 84, 85 में भानीराम उर्फ [illegible] शिशपाल पिसरान सूण्डा बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा व निहालसिंह वल्द कुम्भा, सुभाष व कृष्णा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:13:04 IST
Reason: SelfAttested

Kalpit
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

के साथ बहिस्सा बराबर दर्ज हो गया। जबकि निहालसिंह वल्द कुम्भा का 1/4 हिस्सा बनता है व सुभाष व कृष्णा दोनों का 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर बनता है। उक्त तीनों खसरों में से खसरा सं0 85 विभाजन में भानीराम उर्फ हनुमान व शिशपाल पिसरान सूण्डा को दे दिया व शेष खसरा सं0 60 की 8 किला 18 बिस्वा व खसरा सं0 84 की 5 किला 1 बिस्वा कुल 13 बिघा 19 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सा निहालसिंह का दर्ज होना चाहिए था व सुभाष वल्द ठाकर व कृष्णा पुत्री ठाकर का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार सही हिस्सा कस्सी के मुताबिक निहालसिंह को 6 बिघा 19–1/2 बिस्वा व सुभाष व कृष्णा को 6 बीघा 19–1/2 बिस्वा संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए थी। जबकि उक्त इन्तकाल गलत दर्ज होने से निहालसिंह के नाम 4 बिघा 13 बिस्वा भूमि दर्ज हुई व इसी प्रकार सुभाष के नाम 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि दर्ज हो गई व कृष्णा के नाम 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि दर्ज हो गई। इस प्रकार निहालसिंह को गलत नामान्तरण दर्ज हो जाने से 2 बीघा 6–1/2 बिस्वा भूमि कम दर्ज हुई जिसको जरिये अपील दुरूस्त कराने का कानूनी अधिकारी है।

उक्त भूमि वर्तमान में रोही गढडा के खाता सं0 188/180 के खसरा सं0 84 की 1.277है0, व खसरा सं0 60 की 2.251है0 राजस्व रिकार्ड में निहालसिंह ने अपने जीवनकाल में श्रीचंद वल्द मोखराम को 1/3 हिस्सा बेचान कर दिया था। सुभाष वल्द ठाकर, कृष्णा पुत्री ठाकर के 2/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो सुभाष की मृत्यु होने पर नामान्तरण सं0 920 दिनांक 16.04.2013 को सुभाष के वारिसान सकीला पत्नी सुभाष, पिंकी, पुजा पुत्रियां सुभाष बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा दर्ज हो गई व सुभाष की बहन कृष्णा द्वारा जरिये दस्तबरदारी अपने भाई के पक्ष में की गई थी लेकिन उक्त दस्तबरदारी कैन्सील करवा कर कृष्णा ने कृषि भूमि अंपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली। व गांव गढडा की कृषि भूमि जमाबंदी के खाता सं0 219/215 के खसरा सं0 85 की 12.925है0 बारानी कृषि भूमि हनुमान, शिशपाल पिसरान सुण्डाराम के नाम रिकार्ड में दर्ज है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद रेस्पोडेन्टस सं0 1, 2, 6 व 8 ने राजीनाम पेश किया व रेस्पोडेन्टस सं0 3, 4, 5 व 7 की तामिल होने के उपरान्त भी हाजिर अदालत नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्टस सं0 3, 4, 5 व 7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील अपीलार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा गढडा के खाता संख्या 98 के खसरा सं0 60, 84, 85 में भानीराम उर्फ हनुमान, शिशपाल पिसरान सूण्डा बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा व निहालसिंह वल्द कुम्भा, सुभाष व कृष्णा के साथ बहिस्सा बराबर दर्ज हो गया। जबकि निहालसिंह वल्द कुम्भा का 1/4 हिस्सा बनता है व सुभाष व कृष्णा दोनों का 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर बनता है। उक्त तीनों खसरों में से खसरा सं0 85 विभाजन में भानीराम उर्फ हनुमान व शिशपाल पिसरान सूण्डा को दे दिया व शेष खसरा सं0 60 की 8 किला 18 बिस्वा व खसरा सं0 84 की 5 किला 1 बिस्वा कुल 13 बिघा 19 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सा निहालसिंह का दर्ज होना चाहिए था व सुभाष वल्द ठाकर व कृष्णा पुत्री ठाकर का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार सही हिस्सा कस्सी के मुताबिक निहालसिंह को 6 बिघा 19–1/2 बिस्वा व सुभाष व कृष्णा को 6 बीघा 19–1/2 बिस्वा संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए थी। जबकि उक्त इन्तकाल गलत दर्ज होने से निहालसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:13:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
पादम (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

नाम 4 बिघा 13 बिस्वा भूमि दर्ज हुई व इसी प्रकार सुभाष के नाम 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि र्ज हो गई व कृष्णा के नाम 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि दर्ज हो गई। इस प्रकार निहालसिंह को लत नामान्तरण दर्ज हो जाने से 2 बीघा 6–1/2 बिस्वा भूमि कम दर्ज हुई इसलिए अपील पीलार्थी अन्दर मियाद होने के कारण मुताबिक नामान्तरण सं0 114 दिनांक 13.04.1986 का ामान्तरण अपास्त किये जाने योग्य है। इसलिए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नामान्तरण ं0 114 दिनांक 13.04.1986 को अपास्त किया जाकर पुनः बहाल किया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। नामान्तरण सं0 114 का अवलोकन किया गया जिसमें खसरा सं0 92 की आराजी निहालसिंह वल्द कुम्भा 1/2 हिस्सा, सुभाष वल्द ठाकर, कृष्णा पुत्री ठाकर बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा जबकि खसरा सं0 60, 84, 85 के आराजी में निहालसिंह वल्द कुम्भा, सुभाष वल्द ठाकर, कृष्णा पुत्री ठाकर बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा दर्ज है उक्त नामान्तरण सं0 114 दिनांक 13.04.1986 खोले जाने के समय समस्व विधिक वारिसान व उत्तराधिकारियों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर एकपक्षीय रूप से तस्दीक किया गया है जिसकी जानकारी नहीं होने के कारण जानकारी होते ही अपील पेश की गई है। कथित नामान्तरण सं0 114 दिनांक 13.04.1986 विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से प्रारम्भ से ही शून्य है जिस पर मियाद अधिनियम प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दू को क्षम्य किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। रेस्पोन्डेन्टस द्वारा नामान्तरण सं0 114 दिनांक 13.04.1986 को ग्राम पंचायत गढडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरण में अपीलार्थी के हिस्सा कस्सी गलत दर्ज होने से अपीलार्थी के हित प्रभावित हुए है। इसलिए मुताबिक दस्तावेजात तथा विवेचानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा तथा ग्राम पंचायत गढडा को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तरण सं0 114 दिनांक 13.04.1986 को अपास्त किया जाता है तथा पुन : सुनवाई कर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट को सुना जाकर विधि अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 19/3/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.03 13:13:04 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner